FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अराई मुकाम अराई (अजमेर)

- **श्योकरण पुत्र सूरजकरणजाति जाट निवासी ग्राम इन्दोली तहसील अराई जिला अजमेर व अन्य**

–प्रार्थी

बनाम

- **राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान**

–अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा– धारा 136 राज0 भू0राज0 अधि0 1956

नंबर 11 / 2025

ऑनलाइन नंबर 2025 / 20.......

प्रार्थी:– गोविन्द दास पुरोहित **वकील अप्रार्थीगण......**

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से वकील प्राथी श्री गोविन्द दास पुरोहित ने अन्तर्गत धारा 136 मू.राज.अधि. 1956 के तहत पेश किया गया। प्रा. पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्राथीगणों की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 21.03.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराई	
21/3/25	पत्रावली पेश हुई आज बार किशनगढ़ ...... की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5.5.25 ......को पेश हो।	
5/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/छुट्टी/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार............ दिनांक 9/5/25 को पेश हो।	
9/5/25	पत्रावली पेश हुई आज बार किशनगढ़ [illegible] की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। परवाना सम्मन की तामील रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/6/25 ....को पेश हो।	
20/6/25	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारण उप. । परवाना रिपोर्ट तामील प्राप्त नहीं हुई वास्ते वादी बहस .... 22/8/25 को [illegible] उपखण्ड अधिकारी अराई	परवाना रिपोर्ट 5/5

22.8.25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। पेशकार सरकार का जवाब, मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। पत्रावली दिनांक 3.10.25 को पेश हो। WD

3/10/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप. ।
बहस मौका रिपोर्ट हेतु
पत्रावली दिनांक 28.11.25 को पेश हो

WD
उपखण्ड अधिकारी
अरांई

28.11.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। तहसीलदार मौका जांच रिपोर्ट तथा वकील वादी की बहस के आधार पर वकील वादी का प्रार्थना पत्र धारा 136 स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड में जमा हो। WD

न्यायालय उपखंड अधिकारी अराई अजमेर

राजस्व वाद संख्या 11/2025

1. श्योकरण पुत्र श्री सूरजकरण जाट आयु.45. वर्ष
2. गोगा पुत्र श्री रामधन जाट आयु. 32 वर्ष
3. छोटू पुत्र श्री रामधन जाट आयु. 50. वर्ष
4. सुखलाल पुत्र श्री रामधन जाट आयु. 35 वर्ष

सर्वनिवासीगण ग्राम इन्दौली तहसील अंराई जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

राज्य सरकार जरिये श्री तहसीलदार अंराई

अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 28.11.25

संक्षिप्त में वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ग्राम इन्दौली तहसील अंराई के स्थायी निवासी है जिनका मुख्य पेशा कृषि व पशु पालन का है। प्रार्थी संख्या 1 के कब्जे काश्त खातेदारी की ग्राम इन्दौली तहसील अंराई के खसरा नम्बर 431/362, 433/364 व 435/398 की कुल 0.6553 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी संख्या 2 से 4 के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की ग्राम इन्दौली तहसील अंराई के खसरा नम्बर नम्बर 431/362, 433/364 व 435/398की कुल 0.6553 हैक्टेयर भूमि स्थित है।प्रार्थीगण ने संयुक्त रूप से खसरा नम्बर 432/364 की भूमि के उत्तरी दिशा में स्थित वादग्रस्त खसरा नम्बर 365 की भूमि पर कुँआ खुदवा रखा है जिसके जल का उपयोग उपभोग असे दराज उक्त खसरा नम्बर नम्बर 431/362, 433/364 व 435/398 431/362, 433/364 व 435/398 की भूमि पर काश्त की गयी फसल में किया जाता रहा है और प्रार्थीगण ने उक्त कुँए पर विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है जो मौके पर अवस्थित है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की उक्त खसरा नम्बर नम्बर 431/362, 433/364 व 435/398 , 431/362, 433/364 व 435/398 की भूमि के उत्तर दिशा में वर्तमान वादग्रस्त खसरा नम्बर 365 की कुल 284 बीघा 14 बिस्वा छापर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की उक्त खसरा नम्बर 431/362, 433/364 व 435/398, नम्बर 431/362, 433/364 व 435/398 की भूमि के उत्तर दिशा में स्थित वर्तमान वादग्रस्त खसरा नम्बर 365 की कुल 284 बीघा 14 बिस्वा भूमि के एंकीकरण मिलान क्षेत्रफल अनुसार सेटलमेन्ट खसरा नम्बर 484, 470/596, 496 मि., 497, 498, 499, 556, 557, 559, 560, 550 मि., 561, 562, 563 व 564 है तथा भू संशोधन मिलान क्षेत्रफल अनुसार 255 है। राजस्व रिकार्ड (एंकीकरण जमाबन्दी सम्वत् 2018) के अनुसार वादग्रस्त खसरा नम्बर 255 की कुल 284 बीघा 14 बिस्वा भूमि छापर भूमि के रूप में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड (वर्किंग जमाबन्दी सम्वत् 2041) के अनुसार वादग्रस्त वर्तमान खसरा नम्बर 365 (पूर्व खसरा नम्बर 255) कल कुल 284 बीघा 14 बिस्वा भूमि गै० मु० छापर में सहवन से 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि गै० मु० रास्ता दर्ज कर दिया गया है।प्रार्थी संख्या 1 को उक्त रिकार्ड के बारे में जानकारी होने के बाद प्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी श्री तहसीलदार अंराई के समक्ष उक्त राजस्व रिकार्ड में संशोधन हेतु दिनांक 26.12.2024 को प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी श्री तहसीलदार अंराई ने प्रार्थी संख्या 1 के उक्त प्रार्थना पत्र पर भू.अ. निरीक्षक दादिया से रिकार्ड की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। भू.अ. निरीक्षक दादिया ने सेटलमेन्ट/एंकीकरण/वर्किंग जमाबन्दी के राजस्व रिकार्ड अनुसार विस्तृत रिपोर्ट मय नक्शा तैयार कर अप्रार्थी श्री तहसीलदार अंराई के समक्ष दिनांक 21.1.2025 को प्रस्तुत की जिसकी

Wd

प्रमाणित नकल प्रार्थी संख्या 1 ने न्यायालय में दिनांक 30.11.2025 को प्राप्त की है।भू.अ.निरीक्षक अंराई के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 21.01.2025 के अनुसार वर्तमान खसरा संख्या 365 पूर्व खसरा संख्या 255 की छापर भूमि मे से 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि वर्किंग जमाबन्दी 2041 में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया गया है। ग्राम अंराई के वादग्रस्त वर्तमान खसरा संख्या 365 की भूमि में खसरा नम्बर 432/364 की भूमि के आगे उत्तर दिशा में कुँआ अवस्थित है उसके आगे की पूर्व दिशा की भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि पर वर्तमान में रबी की फसल कर रखी है। पश्चिम दिशा की भूमि का कुछ भाग रास्ते के उपयोग उपभोग में है प्रार्थीगण ने पश्चिम दिशा में स्थित खसरा संख्या 434/398 व 435/398 के उत्तर दिशा की छापर भूमि पर रबी की फसल काश्त कर रखी है उसके आगे मौके पर रास्ता है। प्रार्थीगण ने वादग्रस्त वर्तमान खसरा संख्या 365 के राजस्व रेकार्ड की नकल एवं भू.अ. निरीक्षक अंराई के रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति न्यायालय से दिनांक 30.01.2025 को प्राप्त की है उसके आधार पर वादग्रस्त खसरा संख्या 365 की 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि को गैर मुमकिन रास्ते के स्थान पर गै० मु० छापर अंकित किया जाना आवश्यक है प्रार्थीगण के अप्रार्थी श्री तहसीलदार अंराई के समक्ष उक्त संशोधन के संबंध में दिनांक 26.12.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं भू.अ. निरीक्षक अंराई की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद भी अप्रार्थी तहसीलदार अंराई ने उक्त संशोधन नहीं किया इस कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रकरण दिनांक 28.2.2025 को दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण के सम्मन नोटिस दिनांक 19.5.2025 को प्राप्त हुए । जिसके उपरान्त पेरोकार सरकार काजवाब दिनांक 20.6.2025 के बाद प्राप्त हुआ । दिनांक 28.11.2025 को उभयपक्ष की बहस सुनी गई । तथा बहस सुनने के उपरान्त पत्रावली का अवलोकन किया गया । उसके उपरान्त पेरोकार सरकार के जवाब अनुसार ग्राम इन्दौली तहसील अरॉई (अजमेर) के वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड सेग्रीगेशन जमाबन्दी के खाता सं. 151 ख. सं. 431/362 रकबा 0.0769 हैक्ट., ख. सं. 433/364 रकबा 0.4652 हैक्ट. व ख. सं. 435/398 रकबा 0.1132 हैक्ट. कुल किता 3 कुल रकबा 0.6553 हैक्ट. मे प्रार्थी सं. 1 श्योकरण पुत्र सुरजकरण जाति जाट सा. देह राहिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा किशनगढ दर्ज है (जमाबन्दी की प्रति संलग्न है) ग्राम इन्दौली के वर्तमान राजस्व जमाबन्दी अनुसार खाता सं. 151 ख. सं. 431/362 रकबा 0.0769 हैक्ट., ख. सं. 433/364 रकबा 0.4652 हैक्ट. व ख. सं. 435/398 रकबा 0.1132 हैक्ट. कुल किता 3 कुल रकबा 0.6553 हैक्ट. भूमि प्रार्थी सं. 1 श्योकरण पुत्र सुरजकरण जाति जाट सा. देह के नाम तथा ख. सं. 430/362 रकबा 0.0768 हैक्ट., ख. सं. 432/364 रकबा 0.4652 हैक्ट. व ख. सं. 434/398 रकबा 0.1133 हैक्ट. पर गोगा, छोटू, सुखलाल पुत्र रामधन जाति जाट हि.ब. सा. देह खातेदार (वाद पत्र प्रार्थीगण सं. 2, 3, 4) के नाम दर्ज है, अतः उक्त प्रार्थी का उक्त तथ्य गलत है। (जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न है) बिन्दु संख्या 04 के सन्दर्भ में भू अभिलेख निरीक्षक दादिया दि. 21.01.2025 अनुसार प्रार्थीगण के ख. सं. 432/364 के उत्तर दिशा मे सह हिस्सेदारी का कुआ खुदा है जिस पर विद्युत कनेक्शन लगा हुआ है, कुआ वादग्रस्त ख. नं. 365 (गै. मु. रास्ता) में है, (संलग्न भू अभिलेख निरीक्षक दादिया रिपोर्ट दि. 21.01.2025) बिन्दु संख्या 05 के सन्दर्भ में प्राथर्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि ख. सं. 431/362, ख. सं. 433/364 व ख. सं. 435/398 के उत्तर दिशा मे वादग्रस्त ख. नं. 365 की कुल 1.0841 हैक्ट. (06–14–00 बीघा) ही गै. मु. रास्ता दर्ज है (संलग्न प्रमाणित जमाबन्दी नकल व नक्शा प्रति) बिन्दु संख्या 06 के सन्दर्भ में संलग्न भू अभिलेख निरीक्षक दादिया दि. 21.01.2025 अनुसार सही है। (संलग्न गत जमाबन्दी नकल प्रतिया).बिन्दु संख्या 07 के सन्दर्भ में संलग्न साबिक रिपोर्ट सम्वत 2018–19 एकीकरण जमाबन्दी अनुसार ख. नं. 255 रकबा 284–14–00 बीघा किस्म गै. मु. छापर 279–15–00 बीघा बारानी अव्वल (छापर) 04–19–00 बीघा दर्ज है (संलग्न एकीकरण जमाबन्दी नकल प्रति) बिन्दु संख्या 08 के सन्दर्भ में राजस्व जमाबन्दी वर्किंग जमाबन्दी 2041 अनुसार ख. नं. 255 रकबा 284–14–00 बीघा किस्म गै. मु. छापर 279–15–00 बीघा बारानी अव्वल (छापर) 04–19–00 बीघा दर्ज है, शेष तथ्य प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे (संलग्न वर्किंग जमाबन्दी नकल प्रति). बिन्दु संख्या 09 के सन्दर्भ में प्रार्थी द्वारा तहसीलदार अरॉई के समक्ष शुद्धि बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न है । बिन्दु संख्या 10 के सन्दर्भ में संलग्न प्रार्थी श्योकरण चौधरी नि. इन्दौली के क्रम मे कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) अराँई के आदेश क्रमांक /भू.अ/7 दिनांक 03.01.2025 से भू अभिलेख निरीक्षक दादिया को आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया (संलग्न आदेश प्रति) बिन्दु संख्या 11 के सन्दर्भ मे तथ्य सही है, जिसकी

प्रमाणित नकल प्रतिलिपि संलग्न है। बिन्दु संख्या 12के सन्दर्भ मे तथ्य सही है, जिसकी प्रमाणित नकल प्रतिलिपि संलग्न है। 13. बिन्दु संख्या 12 के सन्दर्भ में संलग्न भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार सही है ।, बिन्दु संख्या 14 के सन्दर्भ में भू.अ. निरीक्षक दादिया की रिपोर्ट तहसील कार्यालय से दिनांक 30.1.2025 को प्राप्त है । पेरोकार सरकार के जवाब अनुसार नियमानुसार शुद्धि किया जाना उचित है ।

हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया गया। तहसीलदार अराई के जवाब तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार एवं ग्राम इन्दोली पटवार हल्का चोसला तहसील अराई की मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम इन्दोली के वादग्रस्त खसरा नं0 365 की 6 बीधा 5 बिस्वा गे0मु0रास्ते की भूमि को पुनः गैर मुमकिन छापर राजस्व रिकार्ड में अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार अरांई की रिपोर्ट अन्तिम आदेश का भाग रहेगी तथा उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में अमल दुरूस्ती की जायेगी। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)